Yr 2001

दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद की बैठक की कार्यवाही

आज मंगलवार दिनांक 16.1.2001 को बैठक सूचना पत्रांक एफ 22/42/98-स्वा0 एवं प0रि0अ0-II/2466 दिनांक 4.1.2001 के अनुसार नवगठित प्रथम दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद की प्रथम बैठक श्री अशोक बक्शी, विशेष सचिव (स्वा0), निदेशक (भा0चि0प0), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-2 के कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्न सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए।

(1) हकीम बी0पी0ढींगरा	(2) हकीम अनवर अहमद
(3) वैद्य एल0के0 मिश्रा	(4) वैद्य सतीश शर्मा
(5) हकीम एम0महमूद अहमद	(6) हकीम एम0ए0 सारी
(7) हकीम टी0ए0 रहमानी	(8) वैद्य श्रीकान्त गौड़
(9) हकीम एस0 के0 कुरैशी	(10) वैद्य कमल कान्त वत्स
(11) वैद्य करन सिंह	(12) वैद्य सुरेश कौशिक
(13) वैद्य श्रीकांत शर्मा	(14) वैद्य आर0एस0 चौहान
(15) हकीम शकील अहमद	(16) वैद्य पी0 आर0 शर्मा
(17) वैद्य चन्द्र केतु	(18) वैद्य युवराज कुमार त्यागी
(19) हकीम ओ0पी0 जग्गी	(20) वैद्य के0 के0 सिजोरिया

श्री अशोक बक्शी, विशेष सचिव (स्वास्थ्य) दिल्ली सरकार ने सभी का स्वागत किया तथा परिचय कराया, साथ ही सदन को बताया कि वैद्य युवराज कुमार त्यागी अध्यक्ष एवं वैद्य चन्द्रकेतु उपाध्यक्ष दिल्ली सरकार की अधिसूचना पत्रांक 22/42/99-स्वा0प0रि0अ0-II/2510-17 दिनांक 15.1.2001 के द्वारा नामांकित किए गए हैं। सभी सदस्यों ने उक्त अधिकारियों का एक स्वर में स्वागत किया साथ ही दिल्ली सरकार को बधाई दी। इसके उपरान्त श्री बक्शी, विशेष सचिव (स्वा0) दिल्ली सरकार ने नव निर्वाचित अध्यक्ष को बैठक का संचालन सौंप दिया।

वैद्य नंद किशोर, उपनिदेशक (भा0चि0प0) ने अधिनियम का परिचय कराया। हकीम एम0ए0 सारी ने रजिस्ट्रार दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद के नामांकन का मसला उठाया तथा उसके लिए वैद्य नंद किशोर उपनिदेशक (भा0चि0प0) के नाम का सुझाव दिया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा विशेष सचिव, दिल्ली सरकार से अध्यक्ष दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद ने अनुरोध किया कि वे इस नाम पर अपनी सहमति दें तथा श्री बक्शी ने अपनी सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की अनुमति से वैद्य एल0 के0 मिश्रा की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें हकीम एम0ए0 सारी, हकीम बी0

बी0 डोगरा, हकीम ओ0पी0 त्यागी, वैद्य आर0 एस0 चौहान को सम्मिलित किया गया। यह समिति निवर्तमान बोर्ड के कार्यभार व जिम्मेदारियों का अध्ययन करेगी और हकीम शकील अहमद के अनुरोधानुसार सदस्य व रजिस्ट्रार बोर्ड के द्वारा पूर्व में की गई अनियमितताओं की भी जांच करेगी। इस विषय पर सभी ने सहमति व्यक्त की ।

परिषद ने निवर्तमान सचिव से अनुरोध किया कि वे अध्यक्ष बोर्ड को पत्र द्वारा सूचित करें कि ईस्ट पंजाब आयुर्वेदिक यूनानी प्रैक्टीशनर्स एक्ट 1949 एवं आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा प्रणाली बोर्ड निरस्त हो चुका है और उसके स्थान पर दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1998 की अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा 1.1.2001 से उक्त अधिनियम दिल्ली में लागू हो चुका है तथा उक्त तिथि से परिषद का गठन हो चुका है। साथ ही बोर्ड द्वारा बैंक एकाउंट का संचालन स्थगित करने की सूचना दी जाए । सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि अध्यक्ष वैद्य युधराज कुमार त्यागी, उपाध्यक्ष वैद्य चन्द्रकेतु, वैद्य नंदकिशोर को बैंक एकाउंट संचालन हेतु अधिकृत किया गया है ।

सभी सदस्यों को संबंधित अधिनियम की प्रति आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराई जाए। निवर्तमान बोर्ड का कार्यभार तैयार होने में समय लग सकता है अतः आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए परिषद संबंधी आवश्यक सामग्री का मुद्रण कराएं ।

निवर्तमान बोर्ड में कार्यरत श्री सी0एस0 मिश्रा, श्री सी0पी0 तिवारी एवं श्री दिनेश भारद्वाज की सेवाएं तब तक ली जा सकती हैं जब तक कि परिषद के आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती न हो जाए ।

परिषद सदस्यों के पहचान पत्र जारी कराएं जाएं ।

अगली होने वाली बैठक सोमवार दिनांक 29.1.2001 में कार्यकारी समिति पंजीकरण संबंधी समितियों का गठन किया जाएगा। अन्य मुद्दों [एजेन्डा] पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार विमर्श किया जाएगा ।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

23/1/2001

(डा0 युधराज कुमार त्यागी)
अध्यक्ष /